**भारत सरकार**
**मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
**मत्स्यपालन विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4047**
**25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए**

**प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन**

**4047. श्री बैजयंत पांडा:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुल कितनी नौकरियां सृजित हुई हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है और इसकी शुरुआत से अब तक आवंटित और उपयोग की गई कुल निधि कितनी है;

(ग) मछली उत्पादन, मछली पकड़ने के बाद की अवसंरचना के लिए क्या प्रमुख पहलें की गईं हैं;

(घ) पीएमएमएसवाई के तहत बाजार संपर्क के लिए क्या प्रमुख पहलें की गईं हैं; और

(ङ) क्या इस योजना को और विस्तारित करने की सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**

**(श्री जॉर्ज कुरियन)**

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ओडिशा सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है। विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को 8926.28 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 20,990.79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत चार वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 510.94 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 1264.23 करोड़ रुपए की लागत से ओडिशा सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें से, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उपयोग रिपोर्ट के आधार पर 271.17 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश ओडिशा सरकार को जारी किया गया है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत ओडिशा के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के कारण 1,70,688 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (घ) : पीएमएमएसवाई में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता तथा पोस्ट-हावेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में कमज़ोर कड़ियों (क्रिटिकल गैप्स) को पाटने की परिकल्पना की गई है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ कार्यान्वित की गई हैं जैसे (i) व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम, (ii) ब्रूड बैंक और ब्रूड स्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर की स्थापना, (iii) हैचरी की स्थापना, (iii) सीड रियरिंग क्षेत्र, (iv) फ्रेश वॉटर, ब्रेकीश वॉटर, कोल्ड वॉटर और सलाइन वॉटर एक्वाकल्चर के लिए इनपुट के साथ ग्रो आउट पॉण्ड का निर्माण, (v) रेसवे, (vi) जलाशय में केज कल्चर (vii) रि-सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), (viii) बायो-फ्लोक इकाई, (ix) सी केज, (x) प्रजातियों में विविधता लाना और स्वदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देना, (xii) डीप सी फिशिंग वेसेल्स की शुरूआत (xiii) निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा फिशिंग वेसेल्स का उन्नयन, (xiv) बोट्स और नेट्स की रीप्लेस्मेन्ट । इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 17 उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा मछुआरों और मत्स्य किसानों तक विस्तारित की है, ताकि उन्हें उत्पादन और उत्पादकता उन्मुख गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके।

इसी प्रकार, पोस्ट-हारवेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र में मारकेट लिंकेज को मजबूत करने के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को भी मंजूरी दी गई है जैसे (i) फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स का निर्माण, उन्नयन और आधुनिकीकरण, (ii) कोल्ड स्टोरेज, (iii) आइस प्लांट्स, (iv) अत्याधुनिक थोक मत्स्य बाजार, (iii) एक्वा पार्क, (iv) फिश कियोस्क, (v) लाइव फिश वेंडिंग सेंटर, (vi) रीटेल फिश मार्केट्स (vii) इंसुलेटेड वाहन, (viii) रेफ्रीजरेटीड वाहन, (ix) आइस बॉक्स के साथ थ्री वीलर, (x) आइस बॉक्स के साथ टू वीलर, (xi) मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों की ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफॉर्म।

(ड़): प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को 31 मार्च, 2025 से आगे भी जारी रखने के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई है और इस योजना को इसके मौजूदा स्वरूप में 15वें वित्त आयोग चक्र की पूरी अवधि के दौरान, अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखा जाएगा।

*****